रजिस्ट्री सं० डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं० 16] नई दिल्ली, अगस्त 20—अगस्त 26, 2006, शनिवार/श्रावण 29—भाद्र 4, 1928

No. 16] NEW DELHI, AUGUST 20—AUGUST 26, 2006, SATURDAY/SRAVANA 29—BHADRA 4, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 4
## PART II—Section 4

### रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
### Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2006

**का.नि.आ. 99.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ''हिन्दी अधिकारी'' भर्ती नियम, 1997 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में 'हिन्दी अधिकारी' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ''हिन्दी अधिकारी'' भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसके पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| हिन्दी अधिकारी | 05*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय | 6500-200-10500 रु. | चयन | लागू नहीं होता |

| सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (11) | (12) |
| प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नति :** वरिष्ठ सहायक (हिन्दी) जिसने ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :–**<br>1. मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष<br>2. कार्मिक निदेशक या निदेशक मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य<br>3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या एकीकृत वित्त (आर एंड डी) से एक अधिकारी जो अवर सचिव के ग्रेड से कम न हो —सदस्य | लागू नहीं होता । |

[फा. सं. डी आर डी ओ/76239/एच ओ/एम पी डी/मिसिल सं. डी एच आर डी/76239/एच ओ/सी/पी/01/2188/डी (आर एंड डी)]

एस. के. देब, अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

### (Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 26th July, 2006

**S.R.O. 99.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation 'Hindi Officer' Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of 'Hindi Officer' in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation 'Hindi Officer' Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed with these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Scale of pay (Rs.) | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Hindi Officer | 05* (2006) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial | Rs. 6500-200-10500 | Selection | Not applicable |

| Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 | Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made |
|---|---|
| (11) | (12) |
| Promotion | **Promotion :** Senior Assistant (Hindi) with 3 years regular service in the grade. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :—**<br>1. Chief Controller Research and Development, Defence Research and Development Organisation. —Chairman<br>2. Director of Personnel or Director, Human Resource Development, Def. Res. & Dev. Organisation —Member<br>3. An Officer not below the rank of Under Secretary from Deptt. of Def. Res. & Dev. or Integrated Finance (R & D) —Member | Not applicable. |

[File No. DRDO/76239/HO/MPD/No. DHRD/76239/HO/C/P/01/2188/D(R&D)]

S. K. DEB, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2006

**का.नि.आ. 100.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना डिजाइन अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना डिजाइन अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नौसेना डिजाइन अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में,-

(i) ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-I (इंजीनियरी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(1) संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष

(2) सहायक मुख्य कार्मिक (सिविलियन कार्मिक), रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय या सिविलियन कार्मिक निदेशक, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय —सदस्य"

(ii) ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-I (विद्युत) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(1) संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष

(2) सहायक मुख्य कार्मिक (सिविलियन कार्मिक), रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय या सिविलियन कार्मिक निदेशक, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय —सदस्य"

(iii) ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-I (निर्माण) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(1) संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष

(2) सहायक मुख्य कार्मिक (सिविलियन कार्मिक), रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय या सिविलियन कार्मिक निदेशक, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय —सदस्य"

[सं. एफ. सीपी (जी) 1458/452/आरआर/डी (एपीपीटीएस)]

वी.ए. चावडा, अवर सचिव

New Delhi, the 4th August, 2006

**S.R.O. 100.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy Design Officers (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2002, in the Ministry of Defence, namely :—

1. (1) These rules may be called The Navy Design Officers (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Navy Design Officers (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2002, in the Schedule,—

(i) against serial number 4 relating to the post of Senior Design Officer Grade-I (Engineering) under column (13), for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :—

(1) Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence —Chairman

(2) Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel), Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) or Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) —Member"

(ii) against serial number 5 relating to the post of Senior Design Officer Grade-I (Electrical) under column (13), for the existing enty, the following shall be substituted, namely :—

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :—

(1) Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence —Chairman

(2) Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel), Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) or Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) —Member"

2497 GI/06-2

(iii) against serial number 6 relating to the post of Senior Design Officer Grade-I (Construction) under column (13), for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :—

(1) Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence —Chairman

(2) Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel), Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) or Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy). —Member

[No. F. CP(G)/1458/452/RR/D(Appts)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2006

**का.नि.आ. 101.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा कारखाना कैंटीन कर्मचारी भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना कारखाना कैंटीन कर्मचारी भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. पर्यवेक्षक श्रेणी I | 1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय अनौद्योगिक | 5000-150-8000 रु. | चयन | लागू नहीं होता |